संख्याः 603 /XI/2018/ 56(08)2018

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 09 मार्च, 2018

विषयः– भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड समाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 180.05 लाख स्वीकृत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं F-No-M11014/04/2017 MGNREGA (RE-III) 356110Sl.no.179 दिनांकः 29.12.2017, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र 187/दिनांक 30.1.2017 में की गयी संस्तुति एवं शासन के आदेश दिनांकः 03.05.2017, दिनांक 31.05.2017, दिनांक 09.06.2017, दिनांक 11.07.2017, दिनांक 18.07.2017, दिनांक 02.08.2017, दिनांक 04.08.2017, दिनांक 28.08.2017, दिनांक 11.09.2017, दिनांक 26.09.2017, दिनांक 17.01.2018 एवं दिनांक 07.02.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित **उत्तराखण्ड समाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण** के सुचारू क्रियान्वयन हेतु **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" के अन्तर्गत** भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 **180.05 लाख (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख पांच हजार मात्र)** वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि " **उत्तराखण्ड समाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण** " के भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय के खाता सं0 **36161696879, IFSC CODE-SBIN0010164** MICR सं0 248002020 में हस्तान्तरित कर आहरित की जाएगी।
2. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन एवं व्यय संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित जनपदों हेतु नियमानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
4. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।
5. प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष

प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैन्युवल, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त धनराशि को स्वीकृत एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2018 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. किसी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–19** के लेखा शीर्षक 2505–ग्रामीण रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाऐं–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–मनरेगा –42 अन्य व्यय से रू0 **180.05 लाख** वहन किया जायेगा। उपरोक्त सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश **वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012** के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1803190053 दिनांक 06.03.2018 जेनरेट कर एवं वित्त विभाग के अशासकीय **सं0 210**/वित्त–4/2018 दिनांकः 05.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /2018/56(08)2018 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. उप सचिव (मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आशुतोष शुक्ल)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 603 XI/18/56(08)2018

अलोटमेंट आई डी - S1803190053

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक -06-Mar-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2505 - ग्रामीण रोजगार

02 - ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनाएँ

101 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधिानति योजना

01 - मनरेगा (2501018000110 से स्थानान्तरति)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अनय वयय	2048983606	18005000	2066988606
	2048983606	**18005000**	**2066988606**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 18005000